न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/109

रेणु सोनी पत्नी दीपक सोनी जाति स्वर्णकार निवासी कोटडी गोरधनपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलांट

बनाम

1. मानसी पुत्री रामप्रसाद जाति धाकड निवासी भेरूपाडा वार्ड नं0 16 केथून तहसील लाडपुरा जरिये बविलायत माता स्वयं रामप्यारी पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड निवासी भेरूपाडा वार्ड नं0 16 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. अरसद पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी भेरूपाडा वार्ड नं0 16 केथून तहसील लाडपुरा जरिये बविलायत माता स्वयं रामप्यारी पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड निवासी भेरूपाडा वार्ड नं0 16 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. रामप्रसाद आत्मज पुष्प चन्द जाति धाकड निवासी ग्राम केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवास झालावाड सेन्ट्रल जेल जिला झालावाड
4. घीसी बाई पत्नी स्व0 पुष्प चन्द जाति धाकड़ निवासी भेरूपाडा वार्ड नं0 16 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. मनोज पुत्र स्व0 पुष्प चन्द जाति धाकड़ निवासी भेरूपाडा वार्ड नं0 16 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. ममता पुत्री स्व0 पुष्प चन्द पत्नी दशरथ जाति धाकड निवासी ग्राम केथून तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
7. श्रीमती लाडंकवर पुत्री स्व0 पुष्प चन्द, पत्नी बजरंगलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील के0पाटन जिला बून्दी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री जावेद इकबाल, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की आरे से।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो. 4 लगायत 7 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 10.12.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 59/2024 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 544/1 रकबा 0.9800 हेक्टर, खसरा नं0 647 रकबा 0.1200 हेक्टर, खसरा नं0 648 रकबा 0.2700 हेक्टर, खसरा नं0 649 रकबा 0.1700 हेक्टर, खसरा नं० 691/1 रकबा 0.1900 हेक्टर जुमला 5 किता की 2.7300 हेक्टर कृषि आराजीयात स्थित चली आ रही है। उपरोक्त आराजीयात पूर्व में पुष्पचन्द आत्मज स्व० श्री धनपाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खातेदारी मे दर्ज थी। यह कि खातेदार पुष्पचन्द जी का स्वर्गवास आज से लगभग 10–11 लगभग वर्ष पूर्व हो चुका है। पुष्पचन्द जी का फोती इन्तकाल विरासत के आधार पर इन्तकाल संख्या 1580 दिनांक 08.04.2013 के माध्यम से बेवा श्रीमती घीसी बाई पुत्र मनोज तथा राम प्रसाद तथा पुत्रियां ममता तथा लाड कंवर के पक्ष में तस्दीक किया गया था। प्रार्थी क्रम 1 व 2 स्वर्गीय पुष्पचन्द जी के पुत्र रामप्रसाद के क्रमशः पुत्र व पुत्री है। इस प्रकार प्रार्थी क्रम 1 व 2 स्व० पुष्पचन्द के क्रमशः पोत्र व पोत्री है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण के दादा स्व० पुष्पचन्द जी आत्मज स्व० श्री धनपाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खातेदारी की भूमि थी, इस कारण से उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी क्रम 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है। पुश्तैनी भूमि/सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण का भी अपने पिता अप्रार्थी क्रम 1 के साथ साथ समान रूप से जन्म से ही उपरोक्त आराजीयात मे हक व अधिकार निहित है अर्थात् प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 1 का उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे 1/15, 1/15 हिस्सा निहित चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 नशेडी, जुआरी तथा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे हो रहे गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बावजूद जानकारी कि उपरोक्त भूमि उसके पुत्र व पुत्रियो के लिये पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थीगण का अप्रार्थी क्रम 1 के साथ साथ उपरोक्त आराजीयात मे समान रूप से हक व अधिकार निहित है, अप्रार्थी क्रम 1 को संपूर्ण 1/5 हिस्से की भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नही है, इसके उपरान्त भी उसके द्वारा अप्रार्थी क्रम 6 से सांठ गांठ कर ओने–पोने दामो में राजस्व अभिलेख मे हो रहे गलत इन्द्राज के अनुसार संपूर्ण 1/5 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी क्रम 6 को दिनांक 15.05.2024 को विक्रय कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी क्रम 1 अपनी गलत आदतो के कारण न तो उपरोक्त आराजीयात की देखरेख करता था ना ही उसकी काश्त की व्यवस्था करता था और ना ही ग्राम कैथून मे स्थायी तौर पर निवास करता था। यही कारण है कि प्रार्थीगण की आवश्यकताओ की पूर्ति के उद्देश्य से गत कई वर्षों से उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण की माता तथा अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी श्रीमती रामप्यारी ही काश्त करती तथा उसकी देखभाल करती चली आ रही है तथा उससे होने वाली आमदनी

से ही वह प्रार्थी कम 1 व 2 तथा स्वयं का पालना पोषण करती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात के 1/5 हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण पुष्पचन्द जी के पोत्र व पोत्री होने से तथा उपरोक्त भूमि मे हित निहित होने के आधार पर काबिज चले आ रहे है तथा वर्तमान मे भी काबिज है। उपरोक्त वर्णित संपूर्ण 2.7300 हेक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है, इस कारण से उपरोक्त भूमि मे जन्म से ही प्रार्थी कम 1, वादी कम 2 का 1/15, 1/15 हिस्सा अर्थात 2/15 हिस्सा उपरोक्त संपूर्ण आराजीयात मे निहित चला आ रहा है तथा अप्रार्थी कम 1 का भी उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के साथ साथ 1/15 हिस्सा निहित था। इस कारण से अप्रार्थी कम 1 को उपरोक्त वर्णित संपूर्ण कृषि आराजीयात मे से 1/15 हिस्से की भूमि को ही बेचान करने का विधिक अधिकार प्राप्त था। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी कम 1 द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे हो रहे गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अपने हिस्से से अधिक हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी कम 6 को कर दिया है जिसका कि अप्रार्थी कम 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। उक्त बेचाननामा प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध अवैध, प्रभावशून्य एवं निष्प्रभावी है। इस कारण से उक्त बेचाननामे से तथा उक्त बेचाननामे के आधार पर राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी कम 6 का नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी कम 6 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी कम 1 आदतन नशेडी तथा जुआरी है तथा उसे अपने शोक कों पूरा करने के लिये आयेदिन रूपयो की आवश्यकता रहती थी तथा वह प्रार्थी कम 3 से भी आयेदिन रूपयो की मांग करता तथा उससे झगडा आदि करता था। अप्रार्थी कम 1 के साथ प्रार्थीगण को अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा जिस कारण से प्रार्थीगण के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रार्थी कम 3 ने अप्रार्थी कम 1 को 14 अप्रेल 2024 को उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात पुश्तैनी भूमि होने से तथा उसमे निहित प्रार्थी कम 1 व 2 के हिस्से को उनके नाम कराने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी कम 3 से गाली गलौच व झगडा करने लगा तथा धमकी देने लगा कि उपरोक्त आराजीयात मे तुम लोगो का कोई हक व हिस्सा नही है, उपरोक्त आराजीयात का मैं जल्द ही बेचान कर दूंगा। इसी क्रम में अप्रार्थी कम 1 द्वारा उपरोक्त संपूर्ण आराजीयात बाबत् अवैध व त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात का फायदा उठाकर गैर कानूनी रूप से सम्पूर्ण 1/5 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी कम 6 को बिना किसी अधिकार के विक्रय कर दिया। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थी कम 1 व 2 का अप्रार्थी कम 1 के साथ साथ जन्म से ही समान रूप से 1/15, 1/15 हिस्सा निहित है। इस कारण से प्रार्थीगण उपरोक्त संपूर्ण भूमि में से 2/15 हिस्से की भूमि को अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है, जिस बाबत प्रार्थीगण द्वारा यह दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा उपरोक्त भूमि में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अप्रार्थी कम 6 के पक्ष मे किया गया है। इस कारण से उपरोक्त बेचान प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर तथा प्रभावशून्य है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियो में प्रार्थीगण का प्राईमाफेसाई केस है तथा

सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है और यदि अप्रार्थीगण अपने मंसूबे मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी। इसलिये अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पक्ष मे तथा विरूद्ध अप्रार्थीगण ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश सादिर फरमाया जावे कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 544/1 रकबा 0.9800 हेक्टर, खसरा नं0 647 रकबा 0.1200 हेक्टर, खसरा नं0 648 रकबा 0.2700 हेक्टर, खसरा नं0 649 रकबा 0.1700 हेक्टर, खसरा नं0 691/1 रकबा 0.1900 जुमला किता 5 की रकबा 2.73 हैक्टेयर कृषि भूमि के 2/15 हिस्से की भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 6 अवैध विक्रय–पत्र के आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज होने के कारण उपरोक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे तथा रूपान्तरित नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधी से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जिसे प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से प्रदान करवाई जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित प्रार्थीगण के हिस्से तक की आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द एवं अन्यत्र हस्तांतरित नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निर्णय/आदेश पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2025 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2025 कानून एवं रूयदाद मिसल कर विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पो० नं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर० टी० ए० स्वीकार कर अपीलान्ट को उसके खरीद शुदा 1/5 हिस्से की भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि को रहन बेचान खुर्द बुर्द व अन्तरण नहीं करने बाबत प्रतिपक्षी अपीलान्ट को पाबन्द करने में त्रुटि की है। जब कि अपीलान्ट द्वारा उक्त कृषि आराजी सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम केथून तहसील लाडपुरा की ख०न० 544/1, 647, 648, 649, 691/1 कुल 5 किता की 2.73 हेक्टर भूमि में से रेस्पो० नं० 3 के नाम 1/5 हिस्से की भूमि खाते दर्ज थी जिसे सही तोर पर रेस्पो0 नं0 3 ने प्रतिफल प्राप्त कर अपीलान्ट को भूमि बेचान की है। जिस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है, इस कारण पारित हुक्म जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0नं0 1 व 2 के पिता रेस्पो० नं० 3 जीवित है तथा अपने पिता के जीवनकाल में प्रार्थीगण रेस्पो० नं0 1 व 2 को किसी प्रकार के अधिकार रेस्पो० नं० 3 के हिस्से की भूमि के बाबत प्राप्त नही होते है। किन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थीगण रेस्पौ० नं0 1 व 2 का रेस्पो0 नं0 3 के हिस्से में हक व अधिकार मानते हुये अपीलान्ट के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अपीलान्ट को पाबन्द करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः हुक्म जेरअपील अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता के जीवित रहते हुये दादा की सम्पति में पौत्र–पौत्री का कोई अधिकार नही रहता है। इसके बावजूद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बेची गयी भूमि में उनका अधिकार होना मान कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा व हक व अधिकार नहीं रहा है। अपीलान्ट सदभाविक क्रेता बहैसियत खातेदार भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त विक्रय पत्र विधि सम्मत पंजीकृत किया हुआ है जब तक रेस्पो० नं० 1 व 2 उक्त विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेते है तब तक उक्त वाद चलने योग्य नहीं है ओर रेस्पो० प्रार्थीगण किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस अहम तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० अपीलान्ट प्रतिपक्षी नं0 6 के विरूद्ध खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में पुष्पचन्द आत्मज धनपाल की खातेदारी में दर्ज 'रिकॉर्ड है। पुष्पचन्द की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी विरासत से घीसी बाई तथा रामप्रसाद एवं ममता तथा लाड कंवर के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पुष्पचन्द के पुत्र रामप्रसाद के पुत्र व पुत्री है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के वादग्रस्त आराजी में निहित हक हिस्से तक की भूमि को अप्रार्थी संख्या 6 रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द एवं हस्तांतरित किए जाने बाबत पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1981 आर.आर.डी. पेज 512, 1978 आर.आर.डी. पेज 375(हाईकोर्ट), 2021(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 472, 2024(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 409, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 919, 2012(2) आर.एल.डब्ल्यु.(राज.) पेज 90(हाईकोर्ट), 2015(1) आर.आर.टी. पेज 474, 2010(3) डी.एन.जे.(राज.) पेज 1271 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हम वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पर हम काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का समान रूप से हक अधिकार एवं कब्जा काश्त माना जाता है। अतः हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को नहीं है। हमारे हिस्से तक की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 544/1 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा संख्या 647 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 648 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा संख्या 649 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 691/1 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 2.73 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के तथाकथित 2/15 हिस्से की भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने तथा कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने एवं अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करने बाबत अप्रार्थी संख्या 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पुष्पचन्द के खाते की भूमि है, पुष्पचन्द का स्वर्गवास हो चुका है, प्रार्थीगण पुष्पचन्द के पुत्र रामप्रसाद के पुत्र व पुत्री अर्थात खातेदार पुष्पचन्द के पौत्र व पौत्री है इस कारण वादग्रस्त आराजी उनकी पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रत्येका का 1/30 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण द्वारा अपमे तथाकथित हक हिस्से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पुष्पचन्द आत्मज धनपाल की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 08.04.2013 विरासत से मृतक पुष्पचन्द के स्थान पर रामप्रसाद मनोज पुत्रान पुष्पचन्द, लाडकंवर ममता पुत्रियां पुष्पचन्द व घीसीबाई बेवा पुष्पचन्द के नाम हि. बरा. से दर्ज करने का नोट अंकित है। अतः वादग्रस्त आराजी पुष्पचन्द की मृत्यु के पश्चात विरासत से उसके पुत्र रामप्रसाद व अन्य वारिसान के खाते दर्ज होना प्रकट होता है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रामप्रसाद के पुत्र व पुत्री है तथा अप्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के रामप्रसाद के पुत्र व पुत्री होने अर्थात पुष्पचन्द की पौत्र व पौत्री होने के कथन का कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के पिता रामप्रसाद द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 6 को बेचान किए जाने का कथन किया गया है तथा अपने कथन के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 30.07.2024 की फोटोप्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता रामप्रसाद द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 रेणु सोनी को बेचान किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर अपने पिता रामप्रसाद द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को बेचान की गई भूमि में स्वयं का हक अधिकार निहित होना मानते हुए अपने हक हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। हमारे मत में पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर रामप्रसाद के खाते की भूमि में प्रार्थीगण के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योंपरात

होना शेष है। यदि दौराने वाद रामप्रसाद द्वारा विक्रय की गई वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 6 बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित कर देती है तो उभयपक्षकारान के मध्य अनेकानेक विवाद उत्पन्न हो जावेंगे तथा प्रकरण के जटिलतम होने की संभावना है। अतः हमारे मत में विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता नहीं बढ़े। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.02.2025 में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 6 को वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द एवं अन्यत्र हस्तांतरित नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 विधि सम्मत होने से इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा